भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3484

(दिनांक 17.03.2021 को उत्तर के लिए)

56-जे के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति

3484. श्री टी.आर.वी.एस. रमेश :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के अन्तर्गत नियम 56-जे के अन्तर्गत कई सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ख) : विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/डेटा के अनुसार पिछले दो वर्षों में 90 समूह-क अधिकारियों और 80 समूह-ख अधिकारियों के विरूद्ध एफ आर 56(जे) के प्रावधान/समान प्रावधान लगाए गए हैं। वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की श्रेणी	वर्ष-2019	वर्ष-2020	कुल
समूह-क	82	08	90
समूह-ख	67	13	80

*****